(142)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)
नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री दिपेन्द्रसिंह राठौर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रकरण संख्या :– 5/2015 दायर दिनांकः– 25/03/2015
निर्णय दिनांकः– 12/01/16

1.– श्री सवजी पिता हरजी मीणा आयू 60 वर्ष निवासी पाडवा सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान
2:– श्री कचरू पिता हरजी मीणा आयु 50 वर्ष निवासी पाडवा सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3:– श्री धुला पिता कोदरा मीणा आयु 50 वर्ष निवासी पाडवा सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
4:– श्री हुरजी पिता तोला मीणा आयु 55 वर्ष निवासी पाडवा सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
5:– श्री देवा पिता तोला मीणा आयु 60 वर्ष निवासी पाडवा सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान के कायम मुकाम।
5/1 मनजी पिता देवा मीणा
5/2 बदीया पिता देवा मीणा
5/3 रतना पिता देवा मीणा
6:– श्री पेमजी पिता दलीया मीणा आयु 60 वर्ष निवासी पाडवा सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
7:– श्री बदीया पिता दलीया आयु 40 वर्ष निवासी पाडवा सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
8:– श्री सोमा पिता दलीया मीणा आयु 40 वर्ष निवासी पाडवा सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
9:– श्री भगवान पिता दलीया मीणा आयु 28 निवासी पाडवा सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
10:– कुरिया पिता नाथू पारगी मीणा 28 निवासी पाडवा सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
11:– भाणजी पिता नाथू पारगी मीणा निवासी पाडवा सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
11/1 श्री मगन पिता भाणजी मीणा उम्र वयस्क
11/2 श्री वीरमल पिता भाणजी मीणा उम्र वयस्क निवासी पाडवा

–वादीगण–

बनाम

1:– श्री मना पिता नगा मीणा आयु 35 वर्ष निवासी पाडवा, सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2:– श्री अमरजी पिता नगा मीणा आयु 55 वर्ष निवासी पाडवा, सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3:– श्री नाथु पिता वेचात मीणा आयु 50 वर्ष निवासी पाडवा, सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान के कायम मुकाम।
3/1 श्री लाला पिता नाथु मीणा
3/2 श्रीमती मणी पिता नाथु मीणा
3/3 श्रीमती कमला पिता नाथु मीणा
3/4 श्रीमती सुखी बेवा नाथु मीणा
4:– भूमिधारी तहसीलदार, सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।

–प्रतिवादीगण–

वादी के वाद का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा पाडवा तहसील सागवाडा में बन्दोबस्त 2001 एवं सवत् 2013 में वादीगण के पिता हरजी , कोदरा ,तोला , दलीया एवं प्रतिवादी नं 1 , 2 के पिता नगा के नाम खाते शामलात देह खसंरा नं 4029 रकबा एक बिघा ,खसंरा नम्बर 4026 रकबा दो बिघा दो बिस्वा, खसंरा नम्बर 4030 रकबा दो बिस्वा कुल रकबा तीन बिघा चार बिस्वा भूमि अंकित है इस पर वादीगण के पिता हरजी, कोदरा, तोला, दलीया एवं प्रतिवादी नं 1, 2 के पिता नगा का काश्त कब्जा अभी तक निरन्तर बेरोकटोक आज तक चला आ रहा है। खतौनी सवत् 2001 एवं सवत् 2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1,2 के पिता हरजी , कोदरा, तोला , दलीया एवं नगा ने तथा वादीगण एवं प्रतिवादीग नं 1,2 ने कभी भी उक्त आराजियात प्रतिवादीगण को हस्तान्तिरित नही की है। बन्दोबस्त सवत् 2022 में उपरोक्त आराजियात प्रतिवादी नं 1, 2 के साथ प्रतिवादी नं 3 नाथु के नाम बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारीयों ने गलत अंकित किया है। बन्दोबस्त विभाग को सक्षम न्यायालय के

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

निर्णय डिक्री व वैद्य हस्तान्तरण होने पर ही प्रतिवादी के खातेदार में अंकित करने का अधिकार हो सकता था, उसके अभाव में बन्दोबस्त के विभाग के किये गये वादीगण बाधित नही है। बन्दोबस्त संवत् 2022 के खाता सं 574 प्रतिवादी नं 3 का नाम वादीगण के कब्जे काश्त के उपरोक्त खेत अंकित किये है। वह हाल खसंरा सं 3393 रकबा तीन बिद्या चार बिस्वा खतौनी बन्दोबस्त की नकल सवत् 2022 हाल जमाबन्दी सवत् 2053 से 2056 तक की नकल एवं फर्द तुलनात्मक प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत है। वादीगण के पिता हरजी , कोदरा , दौला , दलिया एवं प्रतिवादी नं 1 , 2 के पिता नगा का देहान्त हो चुका है। वादग्रस्त आराजियात पर उनके पुत्र वादीगण एवं प्रतिवादी नं 1,2 अपने पितागण के समय से काबिज होकर आज दिन तक निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है।

वादीगण एवं वादीगण के पिता हरजी , कोदरा , तोला , दलिया की सहमति बिना उनकी बिना जानकारी में बन्दोबस्त विभाग द्वारा किये गये इन इन्द्राज से वादीगण के अधिकारों को भविष्य में हानि पहूँचानें की सम्भावना होने से भविष्य में कई प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहने से वादीगण के लिये यह आवश्यक हुआ है कि वह इन खेतों को खातेदार काश्तकार है ऐसी द्योषणा करावें प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के कब्जे काश्त में अतिक्रमण नहीं करें ऐसी स्थाई निषेद्याज्ञा जारी करावें । अभी वादीगण द्वारा सियालू में फसल काटते समय प्रतिवादीगण द्वारा रूकावट करने से तथा फसल काटने से मना करने पर वादीगण को प्रतिवादी नं 03 के नाम पर इस खेत को प्रतिवादी सं 3 के खातेदारी में अंकित होने की जानकारी हुई। बिना मुखास्मत वाद मार्च सन् 2000 में प्रतिवादी नं 3 द्वारा वादीगण को फसल काटने से रूकावट करने मना करने से उत्पन्न हुई। तत्पश्चात प्रतिदिन आराजी प्रतिवादी नं 3 के नाम खातेदारी में बनी रहने से उत्पन्न होती रहती है। पक्षकारगण मौजा पाडवा तहसील सागवाडा के निवासी है वादग्रस्त भूमि मौजा पाडवा में स्थित है वाद विषय खातेदार काश्त कार की द्योषणा कराने ,स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने एवं चालु राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती करना होने से यह वाद धारा 88, 188 रा. टी. एक्ट एवं धारा 125, 136 एलआर एक्ट के अन्तर्गत होने से श्री न्यायालय आप द्वारा समायत लेने योग्य है। वाद की कम सं 1 में वर्णित आराजियात खसंरा नं 4029, 4026, एवं 4030 जिसका हाल खसंरा नं 3393 रकबा तीन बिद्या चार बिस्वा मौजा पाडवा वादीगण के कब्जे में होने की द्योषणा की जावें।

चालु राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी नं 3 कें नाम पर खातेदारी के इन्द्राज को हटाकर वादीगण के नाम इन खेतों पर खातेदार काश्तकार के रूप में इन्द्राज किया जावे। प्रतिवादी नं 3 के विरूद्व स्थाई निषेद्याज्ञाजारी की जावे कि वह स्वंय उसके परिवार के सदस्य उसके एजेन्ट , मित्र वादीगण को काश्त करने से रोके नही न ही ऐसा कार्य करें जिससे वादीगण को नुकसान पहुँचें। वाद की कम सं 1 व 2 का जवाब है कि साबिक खसंरा सं 4029 व खसंरा सं 4026 व 4030 रकबा एक बीघा , एक बिघा दो बिस्वा योग शामलात देह सवत् 2001 में खातेदारी में अंकित थी।

प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि, रियासत डूंगरपुर के समय वेट बेगार (बिना मजदूरी चुकाये जबरन्ह काम कराना) का प्रचलन था। इसमें गांव की ओर से राजकीय कर्मचारीयों की सुख सुविधा के लिये बिना मेहनताना चुकाये गांव के नागरिकों को मजदूरी करना अनिवार्य था। मौजा पाडवा में जैन , बाह्राण , पटेल जाति के लोग सवर्ण लोग निवास करते थे। सवर्ण जाति के लोगों के द्वारा वेट बेगार नही कराई जाती थी। उनकी ओर से आदिवासी लोगों को वेट बेगार करने को रखा जाता था। इसकें एवज में गांव सामलात की भूमि सवर्ण लोग खेती करने हेतु सुपूर्द करते थें तथा इस प्रकार से दी गई भूमि को भील आदि जाति के लोग इस प्रकार से दी गई काश्त की भूमि का लगान सवर्ण जाति के लोग सरकारी राजकोष में पटवारीजी को जमा कराते थें। इस पद्वति के अनुसार खसंरा सं 4029 रकबा एक बिघा तथा खसंरा 4030 रकबा दो बिस्वा खंसरा सं 4026 रकबा एक बिघा दो बिस्वा भूमि को बेगार करने की एवज में श्री हरजी वल्द वक्ता ,कोदर पिता कुरिया नाथू पिता थावरा , कुरिया पिता पूंजा ,तोला पिता पूंजा भील सवत् 2002 के पूर्व काश्त करते थे। इन लोगों के द्वारा वेट बेगार नहीं करने पर गांव की शामलाती जमीन को सवर्णो की ओर से उनसे काश्त करवाना बन्द कर दी । यह प्रथा रियासत डूंगरपुर के राजस्थान राज्य में विलीनीकरण होने तक चलती रही उसके अन्तर्गत प्रतिवादी सं 1 के प्रतिवादी सं 1 के पिता , दो के पिता व प्रतिवादी सं 3 के पिता वेट बेगार कर काश्त करते रहे। उनके पूर्वज खातेदार काश्तकार खसंरा सं 4029, 4026, 4030 के थें कत्तई स्वीकार नही है। बल्कि वेट बेगार की एवज में गांव सवर्ण लोगो के द्वारा मजदूरी की एवज में यह भूमि काश्त करने हेतु प्रतिवर्ष दी जाती थी । सगत् 2002 के पश्चात उक्त भूमि पर वादीगण अथवा उनके पूर्वजों का कभी कब्जा नही रहा है। वादीगण व इनके पूर्वजों ने सवत् 2002 के पश्चात वेट बेगार करना बन्द कर दिया। इसलिये खसंरा सं 4026,4030 खसंरा सं 4029 में वे काश्त भी नही करते थें। गांव वालों की ओर से वेट बेगार मेगा पिता थावरा ,नाथू पिता वेचात करते रहे है। इस कारण उक्त भूमि पर उनका कब्जा कायम रहा है। बन्दोबस्त की कार्यवाही के समय नगा पिता थावरा, नाथू

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

पिता वेचान काश्त कर रहे थें। सवत् 2022 के बन्दोबस्त में साबिक खसंरा सं 4029, 4026, एवं 4030 जिसका पैमाइश में नया नम्बर 3393 रकबा तीन बिघा चार बिस्वा कायम हुवा एवं श्री नगा पिता थावरा , नाथू पिता वेचात की खातेदारी में दर्ज हुवा। सवत् 2002 के करीब से ही नगा एवं नाथू भूमि पर काबिज होकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ निरन्तर कायम चले आ रहे है। वादीगण का यह कथन की भूमि पर उनका कब्जा है सर्वथा गलत है।

सवत् 2002 के करीब से वादीगण तथा उनके पूर्वजों ने गांव के सवर्ण लोगों की ओर से वेट बेगार करना बन्द कर दिया था ओर उनका कब्जा नही होने से खातेदारी में अकिंत नही किया गया है । सवत् 2002 के करीब से नाथू पिता वेसात अकेला श्री नगा के साथ बहिस्सें बराबर भूमि पर वेट बेगार करने की एवज में काश्त करता रहा है। सवत् 2022 की बन्दोबस्त कार्यवाही के समय उक्त काश्त की भूमि पर प्रतिवादी सं 1 से 3 का कब्जा होने से व काश्त होने से उनके नाम पर खातेदारी में अकिंत किये गयें है। बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारीयों के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई थी। उक्त आराजियात पर वादीगण का कब्जा होना स्वीकार नही है । सवत् 2002 के पश्चात वादीगण तथा उनके पिता का उक्त आराजियात पर कभी भी काश्त कब्जा नही रहा है। वादीगण के द्वारा गलत तथ्यों को अंकित किया गया है। वादीगण का संवत् 2022 के बाद से काश्त कब्जा खसंरा सं 4029, 4030, 4026 पर नही है। उनका नाम चालु राजस्व रेकार्ड में खातेदार काश्त कार के रूप में अब अंकित नहीं किया जा सकता है। इसका विस्तृत जवाब उपर कम सं 1 में अकिंत किया जा चुका है। प्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त की भूमि को छिनने के आशय से गलत तथ्यों को अंकित किया गया हैं। इस भूमि पर वादीगण का काश्त इस भूमि पर नही रहा है। वादीगण की जानकारी में उनकी आखों के सामने प्रतिवादीगण का कब्जा सवत् 2002 से आज तक निरन्तर बेरोकटोक बना हुवा है। सवत् 2002 से आज तक निरन्तर बेरोकटोक बना हुवा है। वादीगण के द्वारा गलत तथ्यों को अंकित किया गया है। वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का कोई कारण उत्पन्न नही हुवा है। वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

वादीगण का संवत् 2002 के पश्चात से खसंरा सं 4030, 4026 एवं खसंरा सं 4029 की भूमि पर कब्जा नहीं है। उन्होने वेट बेगार करना बन्द कर दिया था और गांव के सवर्ण जाति के लोगों की ओर से प्रतिवादी नाथू तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 के पिता श्री नगा ही वेट बेगार राजकीय कर्मचारीयों के लिये करते थें। वादीगण की ऑखो के समक्ष प्रतिवादी नाथू का आधे हिस्से पर तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 का आधा हिस्सा भूमि पर निरन्तर काश्त कब्जा तक चला आ रहा है। इस प्रकार प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर मुखालफाना कब्जा परिपक्व हो चुका है। वादीगण का वाद अवधि से परे है। वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त विवादित आराजियात खसंरा सं 4026 एवं 4029 के संबध में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत इसी वाद कारण के आधार पर श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसका वाद सं 52/99 सोमा वगैराह बनाम अमरजी वगैराह होकर विचाराधीन है। जिसमें पक्षकार भी लगभग यही थें। तथा इस वाद में सूनवाई दिनांक 01.12.2000 को ही अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया। वादीगण द्वारा अपने साक्ष्य में प्रतिलिपि आसामीवार महकमा बन्दोबस्त मौजा पाडवा संवतृ 2001–2010 खाता सं 542/29 खसंरा सं 4029 रकबा एक बिघा , खसंरा 4026 रकबा 02 बिघा 17 बिस्वा (EX1) , खसंरा बन्दोबस्त ग्राम पाडवा संवत् 2013–14 की प्रतिलिपि (EX2) , फर्द मिलान रकबा ग्राम पाडवा खसंरा सं 4029, 4026 व 4030 की प्रतिलिपि (सवत् 2013–14) (EX3), खतौनी बन्दोबस्त ग्राम पाडवा संवत् 2022 खाता सं 574 खसंरा नं 3393 की प्रतिलिपि (EX4) जमाबन्दी खतौनी ग्राम पाडवा संवत् 2053–2056 खाता सं नया 08 पुराना 11 खसंरा सं 3393 की प्रतिलिपि (EX5) आदि प्रस्तुत किए गए। गवाह के रूप में कुरिया पिता नाथू मीणा निवासी पाडवा का शपथ पत्र (PW1) , पेमजी पिता दलिया का शपथ पत्र (PW2) आदि प्रस्तुत किए गए। गवाहों से वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह पूर्ण की गई। साक्ष्य प्रदर्श करवाए गए।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने साक्ष्य में फर्द मिलान रकवा ग्राम पाडवा सवत् 2013–15 की प्रतिलिपि (EX1A), भूप्रंबन्ध विभाग का प्रमाणांकन के लिए पर्चा नोटिस सहित ग्राम पाडवा खसंरा सं 3393 की प्रतिलिपि (EX2), खतौनी बन्दोबस्त ग्राम पाडवा संवत् 2032 खाता सं 574 खसंरा सं 3393 की प्रतिलिपि (EX3A) जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम पाडवा खाता सं 8 नया 11 पुराना सवत् 2053–2056 खसंरा सं 3393 की प्रतिलिपि (EX4A) , राजस्व पासबुक 2041–2444 खाता सं 8 खसंरा सं 3393 (EX5A) ,खसंरा गिरदावरी मौजा पाडवा सवत् 2013–14 (EX6A) , खसंरा गिरदावरी चतुवर्षीय ग्राम पाडवा सवत् 2055 खसंरा सं 3393 (EX7A), न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा मु.नं 52/99 फैसल दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

145

17/12/2001 के सरबरफ की प्रतिलिपि (EX8A) ,आदि प्रस्तुत किए। गवाह के रूप में लाला उर्फ लालशंकर पिता नाथू निवासी पाडवा का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया । (DW1) गवाह प्रतिवादी से वकील वादी द्वारा जिरह पूर्ण की गई। साक्ष्य प्रदर्श करवाएँ गए।

प्रकरण में दिनांक 19/01/2001 को प्रतिवादी सं 04 मय वकील अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 17/10/2003 को वकील वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी का स्वीकार कर श्री कुरिया पिता नाथू व श्री भाणजी पिता नाथू को वादी सं 10 एवं 11 बनाया गया। दिनांक 18/06/2004 को संशोधित जवाब दावा पेश किया गया। इसी तरह दिनांक 12/08/2005 को संशोधित तनकीयात कायम की गई । प्रकरण में साक्ष्यों के अवलोकन ,बयानों पर विचार तथा बहस पर मनन पश्चात तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है।–

तनकी सं 01:– आया वाद भूमि खसंरा नं 3393 सवत् 2001 तथा सवंत् 2013 में वादीगण एवं प्रतिवादी नं 01 तथा 02 के पिता के नाम दर्ज थी जो बन्दोबस्त विभाग के गलत तरीकें से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी है। –

–वादीगण–

निर्णय:– वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में मौजा आसामीवार ग्राम पाडवा महकमा बन्दोबस्त संवत् 2001–2010 तक खसंरा सं 4029 व 4026 हरजी , वक्ता, कोदरा, कुरिया , नगा ,थावरा , तोला , पूजा साकिन देह दर्ज थे। जिसमें से हरजी ,वादी सं 1 व 2 के पिता कोदरा वादी सं 3 के पिता तोला वादी सं 4 व 5 के पिता तथा नथा प्रतिवादी सं 1 व 2 के पिता थें। सवत् 2013–15 की खसंरा बन्दोबस्त ग्राम पाडवा में खसंरा सं 4029, 4026, 4030 रकबा कमश 1 बीघा , 2 बिघा 2 बिस्वा व 2 बिस्वा हरजी वल्द वक्ता , कोदरा वल्द कुरिया , नगा वल्द थावरा , दलीया वल्द कुरिया , तोला वल्द पूना का नाम कॉलम सं 23 में नाम कृषक (गत भूमाप) में लिखा हुआ है। नाम कृषक (वर्तमान) में उक्त नाम काट छॉट कर नगा वल्द थावरा तथा नाथू वल्द वेचात लिखा गया है। फर्द मिलान रकबा 2013–14 के अनुसार उक्त खसरों से नवीन खसंरा सं 3393 का निर्माण हुआ। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य खतौनी बन्दौबस्त ग्राम पाडवा संवत् 2022 के अनुसार खसंरा सं 3393 नगा वल्द थावरा 1/2 नाथू वल्द वेचात मीणा 1/2 के नाम दर्ज हुआ । जमाबन्दी खतौनी ग्राम पाडवा संवत् 2053–2056 के अनुसार खसंरा सं 3393 प्रतिवादी सं 1,2 व 3 के नाम विरासत से दर्ज हुआ।

प्रतिवादीगण द्वारा अपना जवाब दावे में यह वर्णित किया है कि वादग्रस्त आराजी बेगार बदले ग्राम की शामलाती भूमि काश्त हेतु वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों को दी गई थी। बेगार न करने पर वादीगण से भूमि पर काश्त करवाना बन्द कर दिया गया। परन्तु प्रतिवादी सं 1,2 व 3 के पिता द्वारा बेगार करने के बदले काश्त करते रहें। वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा कायम रहा । सवत् 2002 से ही नगा पिता थावरा एवं नाथू पिता वेचात करते रहे है। सवत् 2022में बन्दोबस्त में वादग्रस्त आराजी नगा पिता थावरा , नाथू पिता वेचात की खातेदारी में दर्ज हुआ । तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण का था परन्तु वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो सकें कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का वर्तमान में कब्जा चला आ रहा है वादीगण द्वारा इस सम्बन्ध में भूप्रबन्ध विभाग की खंसरा गिरदावरी सवत् 2013–14 प्रस्तुत की है। जिसमें वादीगण के पिता के नाम गत भूमाप में कृषक के रूप में शामलाती खाते में दर्ज है। तत्पश्चात नाम पृथक किए जाने के पश्चात बन्दोबस्त संवत् 2022 में भी प्रतिवादीगण के पिता का नाम वादग्रस्त आराजी में यथावत रखा जाकर खातेदारी दर्ज की गई। सवंत् 2013–14 के पश्चात वादग्रस्त आराजी पर कब्जें का कोई साक्ष्य वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी किया जाता है।

तनकी सं 02:– आया संवत् 2002 के बाद वाद भूमि पर वादीगण या उनके पूर्वजों का कब्जा नहीं रहा है। व प्रतिवादी नाथू व 1, 2 का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है।

–जिम्में प्रतिवादीगण–

निर्णय:– प्रतिवादीगण द्वारा अपने साक्ष्य में सवत् 2022 के भूप्रबन्ध विभाग की खतौनी जमाबन्दी व ग्राम पाडवा के खसंरा नं 3393 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। जिसमें वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं 1 व 2 के पिता , तथा प्रतिवादी सं 03 के नाम दर्ज है। जमाबन्दी खतौनी संवत् 2053–2056 में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं 1,2 व 3 के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व पास बुक खसंरा सं 3393 ग्राम पाडवा संवत् 2041–2044 प्रस्तुत की है जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की गई है। प्रस्तुत साक्ष्यों से वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के सवत् 2013–14 से कब्जें की पुष्टि होती है अतः तनकी का निर्णय बहक वादी किया जाता है।

तनकी सं 4:– आया वादीगण प्रतिवादी नं 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के हकदार है।–

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

–जिम्में वादीगण–

निर्णयः– वादीगण द्वारा अपने साक्ष्य में प्रतिलिपि संवत् 2013–2015 प्रस्तुत की है जिसमें वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पिता के नाम सम्मिलित थें तथा प्रतिवादीगण 1 व 2 के पिता का नाम दर्ज था। परन्तु उक्त नाम गत बन्दोबस्त अर्थात सवंत् 2013–14 के पूर्व हुए बन्दोबस्त में दर्ज था जो सवत् 2013–14 के बन्दोबस्त में दर्ज नहीं करें। प्रतिवादीगण सं 1 व 2 के पिता के नाम के प्रतिवादी सं 3 का नाम कृषक के रूप में दर्ज किया गया था। वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है , जिससे यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में वादीगण संवत् 2013–14 के बन्दोबस्त के पश्चात काबिज हो। अतः तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्व वादीगण किया जाता है।

तनकी सं 3:– आया पूर्व में मुकदमा नंबर 52/99 सोमा बनाम अमरजी फैसल दिनांक 01/12/2000का इस वाद पर प्रभावशाली है :–

–जिम्में प्रतिवादीगण–

निर्णयः– प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावें में बिन्दु सं 13 में यह कथन किया है कि, वादग्रस्त आराजियात के खसंरा नं 4026 व 4029 के सम्बन्ध में एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,सागवाडा में प्रस्तुत किया गया था, जिसकी वाद सं 52/99 है तथा उक्त वाद दिनांक 01/12/2000 को खारिज हो गया था। उक्त वाद में पक्षकार भी लगभग यही थे। अपने दावे के पक्ष में प्रतिवादीगण द्वारा वाद की प्रोसिडिंग की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें वाद वादी अदम पैरवी अदम पैरवी में खारिज किये जाने का हवाला दिया गया है, परन्तु प्रस्तुत प्रतिलिपि से यह स्पष्ट नहीं होता कि उक्त वाद के पक्षकारान कौन थे तथा वादग्रस्त आराजी कौनसी थी अतः प्रतिवादीगण तनकी सिद्व करने में असफल रहे है अतः तनकी का निर्णय बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण किया जाता है।

दादरसीः– तनकी सं 1 से 3 का निर्णय बहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादीगण होने से वाद वादी निरस्त किया जाता है। इस आशय की डिक्री जारी हों। निर्णय सरें इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner